

प्रेस नोट थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर दिनांक 01.07.2024

गैर इरादतन हत्या का अपराध कारित करने के आरोप में 01 नफर वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ के पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक गुलरिहा के नेतृत्व में उ0नि0 अंजनी कुमार तिवारी मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 430/2024 धारा 304,504,506 भादवि व 3(2)5 एस0सी0/एस0टी0 एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त राजू पुत्र जयराम निवासी जंगल डुमरी नं0 2 टोला सकलदीपपुर थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 23.05.2024 को वादी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि अभियुक्त व उसके परिजन द्वारा वादी के पिता को जातिसूचक शब्द का प्रयोग करते हुए गाली गुफता दिया गया तथा राड व डण्डा से मारकर बाएं हाथ को तोड़ दिया गया जिससे ईलाज के दौरान वादी के पिता की मृत्यु हो गयी। जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

राजू पुत्र जयराम निवासी जंगल डुमरी नं0 2 टोला सकलदीपपुर थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 430/2024 धारा 304,504,506 भादवि व 3(2)5 एस0सी0/एस0टी0 एक्ट थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी की टीम-

1. प्र0नि0 शशि भूषण राय थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर
2. उ0नि0 अंजनी कुमार तिवारी थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर
3. का0 विनोद यादव थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर
4. का0 राहुल थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर